

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
दायरा दिनांक 24.01.2023
वाद संख्या 06/23
समेकित वाद संख्या 64/24

दायरा दिनांक 11.12.2024

पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)
वीरू कुमार उम्र 28 साल पुत्र सुरजन जाति सहरिया निवासी टीला मोहल्ला समरानिया
तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान वादी

- बनाम
- 1-रतनलाल पुत्र गज्जु जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 2-भोगीलाल पुत्र गज्जु जाति सहरिया निवासी बसुन्धरा कालोनी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 3-तारा वेवा गज्जु जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 4-रामपाल पुत्र शंकर जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 4/1. प्रमोद पुत्र रामपाल जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 4/2. प्रेम पत्नि स्व.रामपाल जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 5-ग्यारसा पुत्र शंकर जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 6-रामनिवास पुत्र पप्पू जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 7-गायत्री बेबा पप्पू जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 8-श्रीलाल पुत्र चेंतू जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 9-ईश्वरलाल पुत्र चेंतू जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 10-रमेश पुत्र चेंतू जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 11-फूलो पुत्री चेंतू जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 12-किशना पुत्र मेघराज जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 13-लच्छी पुत्र मेघराज जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 14-घसीटी पत्नि लितरू जाति सहरिया निवासी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 - 15-इन्द्राज पुत्र श्रीया जाति सहरिया निवासी इन्द्रा कालोनी कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

10.07.2025

उपखण्ड अधिकारी

16-गौरा पत्नि रामेश्वर जाति सहरिया निवासी इन्द्रा कालेनी कुशियारा तहसील
शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
17-राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राज.

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधि. 1955
अंतिम निर्णय दिनांक- 10.07.2025

उपस्थित
वादी की ओर से - श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से - एकपक्षीय
नोट - इस वाद संख्या 06/23 के साथ अन्य वाद संख्या 64/24 को समेकित किये
जाने से दोनो वाद का संयुक्त अंतिम निर्णय पारित किया जा रहा है।

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित संशोधित निर्णय दिनांक 17.04.2025 से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 122/904 की 0.13 बीघा, ख0नं0 141/921 की 1.05 बीघा तथा ख0नं0 142/923 की 9.03 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 11.01 बीघा ग्राम कुशियारा तहसील शाहाबाद में से वादी वीरू का हिस्सा 1/6, विवादित आराजी ख0नं0 142/923 रकबा 9.03 बीघा में से प्रतिवादीकम 15 इन्द्राज का हिस्सा 2/6 या 1/3 तथा प्रतिवादीकम 16 गौरा का हिस्सा 1/6 एवं विवादित आराजी ख0नं0 122/904 की 0.13 बीघा, ख0नं0 141/921 की 1.05 बीघा तथा ख0नं0 142/923 की 9.03 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 11.01 बीघा में से प्रतिवादीकम 4/1,4/2, 6,7 प्रमोद प्रेम रामनिवास गायत्री का हिस्सा 2/18 या 1/9 व 1/18 कुल 1/6 का विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में दिनांक 19.06.2025 को तहसीलदार शाहाबाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया, जिसे पक्षकारान ने स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
1-	वीरू कुमार पुत्र सुरजन कोम सहरिया	142/923	1.10 बीघा	बा.च.	
	सा0 टीला मोहल्ला समरानिया	141/921	0.04 बीघा	बा.च.	
		122/904	0.03 बीघा	बा.च.	


किता 3 कुल रकबा 1.17 बीघा

क.सं. काश्तकार का नाम
2- इन्द्राज पुत्र श्रीया कोम सहरिया
सा0 देह

ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
142/923	3.00 बीघा	बा.च.	

क.सं. काश्तकार का नाम
3- गौरा पत्नि रामेश्वर कोम सहरिया
सा0 कुशियारा

ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
142/923	1.10 बीघा	बा.च.	


10.07.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
4-	प्रमोद पुत्र रामपाल प्रेम पत्नि रामपाल	142/923	1.10 बीघा	बा.च.	
	ग्यारसा पुत्र शंकर रामनिवास पुत्र पप्पू	141/921	0.04 बीघा	बा.च.	
	गायत्री पत्नि स्व. पप्पू कोम सहरिया	122/904	0.03 बीघा	बा.च.	
	सा0 देह				
			किता 3 कुल रकबा 1.17 बीघा		

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम कुशियारा तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 122/904 की 0.13 बीघा, ख0नं0 141/921 की 1.05 बीघा तथा ख0नं0 142/923 की 9.03 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 11.01 बीघा में से वादी वीरू के हिस्सा 1/6, विवादित आराजी ख0नं0 142/923 रकबा 9.03 बीघा में से प्रतिवादीकम 15 इन्द्राज के हिस्सा 2/6 या 1/3 तथा प्रतिवादीकम 16 गौरा के हिस्सा 1/6 एवं विवादित आराजी ख0नं0 122/904 की 0.13 बीघा, ख0नं0 141/921 की 1.05 बीघा तथा ख0नं0 142/923 की 9.03 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 11.01 बीघा में से प्रतिवादीकम 4/1,4/2, 6,7 प्रमोद प्रेम रामनिवास गायत्री के हिस्सा 2/18 या 1/9 व 1/18 कुल 1/6 का उपरोक्तानुसार अनुसार विभाजन किया जाता है। तदनुसार प्रथक-प्रथक खाता कायम कर नक्शे में तरमीम की जावे। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

10.07.2025
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहावाद